



सत्यमेव जयते

विशेष मुद्रा प्राधिकृति के अन्तर्गत

रजिस्टर्ड-पत्र

संख्या / No.....

पेंशन प्राधि./आदेश/के- 85/2017-18/3299

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग  
कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान  
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), RAJASTHAN

दिनांक / Date..... 20/12/17

146805550

2/12 -

श्रीमान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक)

आन्ध्र प्रदेश, शेफाकाद रोड,  
हैदराबाद - 500004 -

विषय:- दिनांक 01.10.2017 से पूर्व सेवानिवृत्त/मृत राजस्थान राज्य के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स, जो राजस्थान राज्य से बाहर अन्य राज्यों से पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, की पेंशन/पारिवारिक पेंशन संशोधन बाबत।


प्रसंग:- वित्त (नियम) विभाग, जयपुर का ज्ञापन क्रमांक एफ 12(6) एफ.डी./रूल्स /2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 5.12.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर ने पत्रांक प.5(294)निपेवि/नियम/2017/1666-H दिनांक 20.11.2017 द्वारा राजस्थान सरकार, वित्त विभाग (रूल्स डिवीज़न ) के ज्ञापन क्रमांक एफ 12(6) एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुक्रम में प्राप्त ज्ञापन संख्या एफ 12(6) एफ.डी./रूल्स /2017 दिनांक 5.12.2017 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों / बैंक शाखाओं को प्रसारित कर भुगतान हेतु निर्देशित करने का श्रम करे तथा प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का श्रम करे।

संलग्न:- ज्ञापन दिनांक 5.12.2017 की प्रति



PM-TS

भवदीय,

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन प्राधिकृति

O/o P.A. Accountant General (A&E)  
AP & Telangana, Hyderabad  
26-DEC-17



497356

जनपथ, जयपुर-302005, दूरभाष:(0141) 2385431-39, फैक्स:(0141)2385263

Janpath, Jaipur- 302005, Tel.:(0141) 2385431-39, Fax : (0141) 2385263

ई मेल / E-Mail : agaerajasthan@cag.gov.in

PM/06-TS  
9/1/18

P



राजस्थान सरकार

..... No. 12345  
 भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग  
 भारत सरकार (पत्र सं १०) राजस्थान  
 INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT  
 OFFICE OF THE ACCOUNTS GENERAL (AND) RAJASTHAN

दिनांक : ०१/०५/२०२३